an>

Title: Regarding illegal demolition of houses and shops without giving any compensation to their owners in Kamlapur and Ataria villages of Uttar Pradesh.

श्री कौशल किशोर (मोहनलालगंज) : सभापति जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 जो लखनऊ से दिल्ली आता है। उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जनपद लखनऊ से आगे सीतापुर में एक गांव पड़ता है अटरिया और नगर पंचायत सिधौली और कमलापुर। पिछले माह में उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिधौली, कमलापुर और अटरिया में 300 दुकानें और मकान बने हुए थे, जिला पूशासन सीतापुर ने उन दुकानों मकानों को गिराने का काम किया है तथा एक पैसा भी मुआवजे के रूप में देने का काम नहीं किया है। मान्यवर, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के जिला पूशासन ने जानबूझकर भूमि अर्जन संशोधन अधिनियम, 1984 का उल्लंघन करके माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का भी उल्लंघन और अवमानना की है। वहां पर जो लोग बसे हुए थे, जिनकी दुकानें और मकान थे, वे इस कार्य से बेरोजगार और बेघर हो गए हैं। जिला पूशासन द्वारा उनके मकानों और दुकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। उनके मकान और दुकान आबादी में दर्ज हैं, वोटर लिस्ट में नाम हैं। वे लोग बाकायदा नगर पंचायत में हाउस टैक्स और अन्य टैक्स पे करते हैं। मैंने जब इस सम्बन्ध में सीतापुर के जिला अधिकारी ने कह दिया कि इन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मैं सरकार से मांग करता हूं कि अटरिया, कमलापुर और सिधौली के जिन लोगों की दुकानें और मकान ध्वस्त किए गए हैं, उन्हें मुआवजा दिया जाए और नियम के विरुद्ध जिसने यह कार्रवाई की है, सीतापुर के जिला पूशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाए।...(व्यवधान)